दिनांक- 25.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 931/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर – थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा

एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना खन्ना के नेतृत्व में थाना खन्ना पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 25.10.2026 को उपनिरीक्षक श्री नरोत्तम सिंह मय हमराह कांस्टेबल राहुल कुमार द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, महोबा से जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में वारंट केस संख्या 25/2021, धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त श्रीपाल वर्मा पुत्र श्री राजू वर्मा, उम्र करीब 44 वर्ष, निवासी ग्राम बरभौली, थाना खन्ना, जनपद महोबा को दिनकर चौराहा, ग्राम बरभौली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

श्रीपाल वर्मा पुत्र श्री राजू वर्मा, उम्र करीब 44 वर्ष, निवासी ग्राम बरभौली, थाना खन्ना, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 नरोत्तम सिंह, थाना खन्ना, जनपद महोबा।
2. का0 राहुल कुमार, थाना खन्ना, जनपद महोबा।



दिनांक- 25.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 932/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी – थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा

एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वारण्टी एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीम ने आज दिनांक 25.10.2026 को न्यायालय से जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सुरेश यादव पुत्र फेरन सिंह, निवासी ग्राम इमिलिया, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा को नहर पुलिया, ग्राम इमिलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय जेएम प्रथम, महोबा में क्रिमिनल केस संख्या 579/2018, मु.अ.सं. 97/2017, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा से संबंधित मामला विचाराधीन है। उक्त कार्यवाही उपनिरीक्षक उदयभान यादव मय हमराह हेड कांस्टेबल विनोद कुमार द्वारा की गई। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को न्यायालय में पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

सुरेश यादव पुत्र फेरन सिंह, निवासी ग्राम इमिलिया, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उपनिरीक्षक उदयभान यादव
2. हे0 का0 विनोद कुमार



दिनांक- 25.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 933/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ – थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध शस्त्र की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 01 नफर अभियुक्त राज उर्फ रोहित राजपूत पुत्र मदन राजपूत, निवासी ग्राम चुरारी, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा को कबूतरा डेरा, ग्राम चुरारी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 250/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

राज उर्फ रोहित राजपूत पुत्र मदन राजपूत, निवासी ग्राम चुरारी, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा।

बरामदगी:

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

मु0अ0सं0 79/2022, धारा 380/411/454 भादवि।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 योगेश रावत, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा।
2. उ0नि0 रामबाबू यादव, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा।
3. का0 विक्की चौधरी, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा।

